दिनांक 01.10.2019
प्रेस विज्ञप्ति 03/19

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पिता–माता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे/शिशु के परित्याग के रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही के दिशा–निर्देश दिये गये

श्री ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उ0प्र0 को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पिता–माता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे/शिशु के परित्याग के रोकथाम हेतु निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गयेः–

- थाने पर ऐसे बच्चों की शिकायत को पूरी संवदेनशीलता के साथ सुना जाये और उनके सम्बन्ध में तत्परता से कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये। किसी प्रकार का विलम्ब न किया जाये।
- थाने के समस्त कर्मियों को इस ओर संवदेनशील बनायें कि वह इस प्रकार के प्रकरणों में शिष्ट एवं भद्र व्यवहार करें।
- इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर बच्वें के माता–पिता/संरक्षक के विरूद्व भादवि की धारा 317 एवं आवश्यकतानुसार अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाये।
- पीड़ित बच्वें के बयान लेते समय सभी प्रसांगिक पहलुओं को सम्मिलित किया जाये तथा बच्चे के द्वारा दिये गये बयान को अक्षरशः दर्ज किया जाये।
- पीड़ित बच्वें का बयान यथा सम्भव महिला उपनिरीक्षक द्वारा लिया जाना चाहिए ताकि बच्चा स्वयं को सहज महसूस करें और बयान के समय उपनिरीक्षक द्वारा सादा परिधान धारण किया जाये।
- भा0द0वि0 एवं अन्य अधिनियमों की धारा की बढ़ोत्तरी, आवश्यकतानुसार अपराधिता के प्रकट होने पर की जा सकेगी।
- ऐसे बच्चों के संरक्षण/पुर्नवास हेतु सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के माध्यम से अग्रिम कार्यवाही विधि के अनुसार की जाये।
- पंजीकृत अभियोग के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी स्वयं अपने निकट पर्यवेक्षण में विवेचना का सम्पादन करायेगें तथा पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रकरण की प्रगति प्रस्तुत करेंगे।
- जॉच अधिकारी द्वारा पीड़ित बच्चे के साथ संवाद एवं प्रकरण में सहयोग हेतु सामर्थ्य व्यक्ति, मनोचिकित्सक, विशेष शिक्षक, कानून विशेषज्ञ, बाल अधिकारी विशेषज्ञ, अनुवादक, परामर्शदाता, मानसिक स्वस्थ विशेषज्ञ, चाइल्ड लाइन अथवा अनुभवी स्वैच्छिक संगठन से सहायता प्राप्त की जा सकती है।

———

दिनांक 01.10.2019
प्रेस विज्ञप्ति 02/19

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

श्रीमती नीलम सिंह, अध्यक्षा वामा सारथी/उ0प्र0 पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा ग्राम सेवा कार्यक्रम का आयोजन

श्रीमती नीलम सिंह, अध्यक्षा वामा सारथी/उ0प्र0 पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा गॉधी जयन्ती, 150 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज दिनांक 01.10.2019 को तहसील मोहनलालगंज के ग्राम सिसेन्डी में ग्राम सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम वासियों, महिलाओं, बच्चों को स्वच्छता एवं स्वास्थ के बारे में जागरूक किया गया तथा बुजुर्गो, असहाय एवं दिव्वांगजनो को खेस (कम्बल) व एक–एक पौधा वितरित करते हुये अध्यक्षा वामा सारथी व अन्य सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण किया गया।

अध्यक्षा वामा सारथी ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि महिलायें अपने अधिकार को समझे, अपने परिवार की बहुत बड़ी सहारा है, महिलायें अपने को कमजोर न समझे, आगे बढ़ेगी तो समाज आगे बढ़ेगा। महात्मा गॉधी जी ने कहा था आपस में मिलकर रहे, आपस में भेदभाव न करे, अपने पास पड़ोस में रहने वाले गरीब परिवारों से प्यार करें तथा अपने आप से भी प्यार करें।

इस अवसर पर श्रीमती सुमन पण्डा, श्रीमती रानी रत्नम, श्रीमती सुनीता साबत, श्रीमती ज्योत्सना अरूण, श्रीमती पूजा सिकेरा, श्रीमती मेघना, श्रीमती रिमी बशाल, श्रीमती पुनीता सिंह, श्रीमती शुभांगी मल्होत्रा, श्रीमती स्वेता गुप्ता, श्रीमती रश्मि मौर्या, श्रीमती मंजू श्रीवास्तव, श्रीमती शीना दूबे, श्रीमती श्रेफाली भगत, श्रीमती सोमा कुन्तल, श्रीमती ज्योति मोदक व श्रीमती कुसुम माथुर उपस्थित रही।

ग्राम सेवा

ग्राम सेवा

दिनांक 01.10.2019
प्रेस विज्ञप्ति 01/19

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश में अवैध रूप से आवासित बांग्लादेशी / अन्य विदेशी नागरिकों का सत्यापन कराकर विधिसम्मत कार्यवाही के दिये गये निर्देश

श्री ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उ0प्र0 को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवैध रूप से आवासित बांग्लादेशी/अन्य विदेशी नागरिकों को चिन्हित कर उनका सत्यापन कराकर विधिसम्मत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं उ0प्र0शासन के द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में अपेक्षित निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गयेः–

- प्रत्येक जनपद के बाहरी छोर (outskirts) पर स्थित रेलवे स्टेशन/बस स्टैण्ड/रोड के किनारे व उसके आस–पास, नई बस्तियों आदि स्थानों का चिन्हॉकन तत्काल करा लिया जाये, जहॉ इस तरह के बांग्लादेशी एवं अन्य विदेशी नागरिक शरण लेते हैं। इस सम्बन्ध में पूर्ण सतर्कता एवं वीडियोग्राफी के साथ नियमानुसार सत्यापन अभियान चलाया जाये।
- यदि जॉच के दौरान संबंधित व्यक्ति अपना पता अन्य राज्यों/जिलों का बताते हैं, तो समयबद्ध तरीके से सम्बन्धित राज्य/जनपद से उनका सत्यापन करा लिया जाये।

- इस बात की भी जॉच करायी जाये कि इन बांग्लादेशी राष्ट्रिकों अथवा अन्य विदेशी नागरिकों द्वारा अपने प्रवास को विनियमित करने हेतु कौन–कौन से अभिलेख/सुविधायें प्राप्त कर ली गई हैं। इनमें राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस, पासपोर्ट तथा आधार कार्ड आदि हो सकते हैं।
- उपरोक्त फर्जी अभिलेखों तथा सुविधाओं के बारे में जांच पूरी होने पर उनके निरस्तीकरण की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाये। उन बिचौलियों तथा विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों की भी पहचान की जाये, जिन्होंने यह सुविधायें उपलब्ध कराने में बांग्लादेशी आदि विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने हेतु सहयोग प्रदान किया है तथा इन व्यक्तियों के विरूद्ध भी नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अवश्य सुनिश्चित करायी जाये।
- अवैध रूप से आवासित बांग्लादेशी नागरिकों एवं अन्य विदेशी नागरिकों के फिंगर प्रिन्ट प्राप्त करके उन्हें राज्य फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो को भेजा जाये, जहॉ इनके बारे में जनपदवार कम्प्यूटराइज्ड डेटाबेस अलग से रखा जाये।
- इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यवसायों यथा कंस्ट्रक्शन कम्पनी आदि में लगे उक्त व्यक्ति/महिलायें जो मजदूरी का कार्य कर रहे हैं, तो सम्बन्धित कंस्ट्रक्शन एजेन्सी व कम्पनियों से यह विधिक अपेक्षा कर लिया जाये कि वह कंस्ट्रक्शन कंपनी आदि में लगे सभी व्यक्तियों का आई0डी0 प्रूफ अपने पास रखें तथा उनका नियमानुसार पुलिस सत्यापन भी अवश्य करा लें। इसके लिए आवश्यकतानुसार सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी से प्रभावी समन्वय स्थापित करके इस सम्बन्ध में नियमानुसार समुचित कार्यवाही कराते हुए सर्वसम्बन्धित को समय से अवगत करा दिया जाये।

- अवैध राष्ट्रिकों के चिन्हांकित/सूचीबद्ध हो जाने के बाद इनके उद्वासन हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में शासन के गृह (वीजा) विभाग को अविलम्ब प्रेषित किया जाये।
- उक्त कार्यवाही का समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर अवश्य अनुश्रवण किया जाये।
- शासन व इस मुख्यालय स्तर से निर्गत उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र में अंकित निर्देशों के क्रम में पुनः उल्लेखनीय है कि जनपदों से उद्वासन की कार्यवाही हेतु पुलिस महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल, कोलकाता से समन्वय स्थापित करने का कार्य सम्बन्धित जोनल अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा किया जायेगा और कोई कठिनाई होने पर उनके द्वारा पुलिस महानिरीक्षक(अभिसूचना), अभिसूचना विभाग द्वारा शासन के गृह(वीजा) विभाग से सहयोग/आवश्यक मार्ग–दर्शन प्राप्त किया जाये।
- इसमे अनेक व्यक्ति अन्य जनपदों से फरार अपराधियों के रूप में भी हो सकते हैं, इसलिए त्रिनेप ऐप के माध्यम से फोटो का मिलान कर तथा जोन एवं रेंज स्तर पर संग्रहीत अन्य समस्त संगत ऑकड़ों को आपस में साझा करके सत्यापन की कार्यवाही करते हुये प्रभावी समन्वयात्मक ढंग से इस अभियान को चलाया जाये तथा नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- जांच के दौरान यदि कोई व्यक्ति अपने को अन्य राज्य का बताता है तो उसकी तत्परता से सत्यापन करने के बाद या पूछतॉछ में इस आशय के साक्ष्य संकलन हो जाने के बाद कि अमुक व्यक्ति बांग्लादेश अथवा अन्य किसी देश से सम्बन्ध रखता है, तो अविलम्ब एल0आई0यू0 और संगत एजेन्सी को सूचना देते हुए संगत प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए उसके उद्वासन की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

अभियान को पूर्ण सतर्कता व पारदर्शिता के साथ चलाये जाने के निर्देश दिये ।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पुलिस विभाग के सभी परिसरों एवं कार्यालय में प्लास्टिक एवं पॉलीथीन के उपयोग पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में दिये गये आवश्यक दिशा–निर्देश

श्री ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग को प्लास्टिक एवं पॉलीथीन के उपयोग पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये।

प्लास्टिक एवं पॉलीथीन के बढ़ते उपयोग से पर्यावरण एवं मानव जीवन पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह ऐसे पदार्थ हैं, जो हजारों साल तक नष्ट नहीं होते हैं। प्लास्टिक एवं पॉलीथीन का निर्माण सुविधा के लिये किया गया था, किन्तु इसकी अधिकता से अब पृथ्वी के सभी जीवों के साथ ही जीवन के लिए जरूरी घटकों पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। यह एक धीमे जहर की तरह है, जिससे कैंसर जैसी गम्भीर बीमारियॉ भी हो सकती हैं तथा यह मानव जीवन के पतन का कारण भी बन सकता है। प्लास्टिक जनित प्रदूषण को रोकने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार भी प्रयासरत् है। ऐसी स्थिति में सामाजिक उत्थान हेतु हम अपने उत्तरदायित्वों की कड़ी में इसे भी जोड़ते हुए आपसे यह अपेक्षा करते हैं कि पुलिस विभाग के सभी परिसरों एवं कार्यालयों को प्लास्टिक एवं पॉलीथीन से मुक्त बनाने में अपना अमूल्य योगदान दें। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी आपसे प्लास्टिक एवं पॉलीथीन के उपयोग पर अंकुश लगाने की अपेक्षा की जा चुकी है। अतः सभी से निम्न प्रकार की कार्यवाही की अपेक्षा की जाती हैः–

- प्लास्टिक से बनी वस्तुओं एवं पॉलीथीन का उपयोग न करें।
- प्लास्टिक से बनी हुई ऐसी वस्तुओं के प्रयोग से बचें जिन्हें एक बार प्रयोग में लिये जाने के बाद फेंकना पड़े।
- प्लास्टिक की जगह कपड़े, कागज और जूट से बने थैलों का प्रयोग करें।
- जब भी आप कोई वस्तु खरीदने जायें तो थैला अपने साथ लेकर जायें, ताकि प्लास्टिक की थैलियों की आवश्यकता न पड़े।

- प्लास्टिक को स्वयं नष्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योकि इससे प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है।

इस वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर दृढ़ प्रतिज्ञ होकर यह संकल्प लें कि अपने आस–पास के परिसर को स्वच्छ रखते हुए प्लास्टिक एवं पॉलीथीन से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे।

जनपद बाराबंकी/थाना सतरिख

- **25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **लगभग 24 लाख रू0 कीमत की 70 ग्राम अवैध मारफीन बरामद**

दिनांक 01.09.2019 को थाना सतररिख पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सी0एच0सी0 के पास चेकिंग के दौरान पुरस्कार घोषित अपराधी हसीब को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 24 लाख रू0 कीमत की 70 ग्राम अवैध मारफीन बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बाराबंकी व लखनऊ के विभिन्न थानों में यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट, सी0एस0 एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरसकार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सतरिख पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. हसीब निवासी मो0कजियाना कस्बा व थाना सतरिख जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1. लगभग 24 लाख रू0 कीमत की 70 ग्राम अवैध मारफीन

जनपद बुलन्दशहर/थाना डिबाई

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 तमंचा 12 बोर मय कारतूस बरामद**

दिनांक 30.09.2019 की रात्रि में थाना डिबाई पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सीपी कृषि फार्म हाउस के पास संदिग्ध व्यक्ति की घेराबंदी की गयी तो बदमाश ने

पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी हरेन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में वाहन चोरी, गैंगस्टर एक्ट, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त थाना डिबाई पर पंजीकृत मु0अ0सं0 407/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना डिबाई पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. हरेन्द्र निवासी अकबरपुर थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी</u>

1. 01 तमंचा 12 बोर मय कारतूस

<u>जनपद एटा/थाना मलावन</u>

- **02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी के 08 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 30.09.2019 की सांय थाना मलावन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आसपुर चौराहे के पास घेराबंदी कर 02 शातिर वाहन चोर 1.नीरज, 2.पवन को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 08 दो पहिया वाहन बरामद हुए।

पूछताॅछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि दिल्ली व जनपद एटा के आसपास के जनपदों से वाहनों की चोरी कर उनकी नम्बर प्लेट बदलकर, ग्राहक मिलने

पर वाहनों को बेच देते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दिल्ली व अन्य जनपदों में वाहन चोरी की घटना कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना मलावन पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. नीरज निवासी असरौली थाना कोतवाली देहात जनपद एटा।
2. पवन निवासी असरौली थाना कोतवाली देहात जनपद एटा।

बरामदगी

1. चोरी की 08 मोटर साइकिलें

जनपद झाँसी/थाना नवाबाद

- **02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 11 मोटर साइकिलें बरामद**

दिनांक 30.09.2019 की रात्रि थाना नवाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुस्तरा जाने वाले कच्चे रास्ते के पास घेराबंदी कर 02 शातिर वाहन चोर 1.जितेन्द्र उर्फ जीतू, 2.आनन्द को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर चोरी की 11 मोटर साइकिलें बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर हैं, जिनके विरूद्ध जनपद झाँसी के विभिन्न थानों में वाहन चोरी के 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने जनपद झाँसी व आसपास के जनपदों से वाहनों की चोरी कर, उनकी नम्बर प्लेट बदलकर, ग्राहक मिलने पर वाहनों को बेच देते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा वाहन चोरी की कई घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना नवाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. आनन्द निवासी ग्राम महुआखेडा थाना समथर जनपद झाँसी।
2. जितेन्द्र उर्फ जीतू निवासी थाना बबीना जनपद झाँसी।

बरामदगी

1. चोरी की 11 मोटर साइकिलें

जनपद गाजियाबाद/थाना साहिबाबाद

- **03 शातिर चोर गिरफ्तार**
- **चोरी के 50 हजार रू0 नगद**
- **चोरी के लगभग 15 लाख रू0 कीमत के मेडीकल उपकरण**
- **01 कार आदि बरामद**

दिनांक 30.09.2019 की रात्रि थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लाजपतनगर कट के पास चेकिंग के दौरान संदिग्ध कार से 03 शातिर चोर 1.साबिर, 2.दीपक उर्फ छोटू, 3.सोनू उर्फ नईम को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 50 हजार रू0 नगद, चोरी के लगभग 15 लाख रू0 कीमत के मेडीकल उपकरण, 01 कार आदि बरामद हुए।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने दिल्ली एनसीआर व महाराष्ट्र, दमन व दीप, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि स्थानों से चोरी आदि की कई घटनायें कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध थाना साहिबाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. साबिर निवासी मजीदपुरा थाना हापुड कोतवाली नगर हापुड।
2. दीपक उर्फ छोटू निवासी ककरईया थाना बेनीगंज हरदोई हाल चौडा खडन्जा शिवपुरी सेक्टर–9 थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद।
3. सोनू उर्फ नईम निवासी मजीदपुरा थाना हापुड कोतवाली नगर जनपद हापुड।

बरामदगी

1. चोरी के 50 हजार रू0 नगद
2. चोरी के लगभग 15 लाख रू0 कीमत के मेडीकल उपकरण
3. 01 कार आदि

————